क्रम संख्या–64 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 अप्रैल, 2018 ई0

बैशाख 06, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 209/XXXVI(3)/2018/29(1)/2018

देहरादून, 26 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 25 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, सन्, 2018)

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड (जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो)

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 168 का अन्तःस्थापन 168 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) अधिनियम, 2001 की धारा 167 के पश्चात् शीर्षक सहित एक नई धारा 168 निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः –

विशेष उपबन्धः– किसी भूमि के ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण, जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, शून्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकेगा;

परन्तु यह कि यह विशेष उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,

प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में चकबन्दी किये गये क्षेत्र में 3.125 एकड़ से कम भूमि के क्रय–विक्रय को विधि मान्य किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) विधेयक 2018 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. उक्त विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधायी/245–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।